

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

मनरेगा में रोजगार की मांग टोल फ्री नम्बर पर दर्ज करवायी जा सकेगी
- जॉब डिमाण्ड के अनुसार कार्य नहीं देने पर श्रमिक होगा बेरोजगारी भत्ता का हकदार

जयपुर, 09 मार्च। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना में शिकायत एवं रोजगार की मांग दर्ज किये जाने के लिए एकीकृत कॉल सेन्टर टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 संचालित है, जिस पर श्रमिकों द्वारा प्रातः 8.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक मनरेगा योजना के बारे में जानकारी, कार्य की मांग एवं शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है।

जॉबकार्ड नम्बर बताना होगा

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि श्रमिकों को मनरेगा में कार्य की मांग एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर पर डायल करना होगा, उसके पश्चात विकल्प सुनकर आई.वी.आर. के 5 नम्बर को दबाना होगा। इसके पश्चात जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जॉबकार्ड नम्बर की सूचना कॉल सेन्टर एजेन्ट को बतानी होगी।

नरेगा सॉफ्ट पर दर्ज होगी मांग

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि श्रमिकों द्वारा जब टॉल फ्री नम्बर पर रोजगार की मांग दर्ज करवाई जाएगी, तो उसके पश्चात कॉल सेन्टर एजेन्ट द्वारा स्टेट लॉगिन से नरेगा सॉफ्ट पर मांग दर्ज कर ली जाएगी, जो सीधे ही संबंधित पंचायत समिति की आई.डी. पर उपलब्ध हो जाएगी। पंचायत समिति स्तर से कार्य आवंटित करने के बाद मांग के अनुसार नाम स्वतः ही मस्टररोल में दर्ज हो जायेगा।

कार्य नहीं देने पर श्रमिक होगा बेरोजगारी भत्ता का हकदार

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि जॉब डिमाण्ड के अनुसार अगर श्रमिक को कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉल सेन्टर के माध्यम से दर्ज की गई मांग के बारे में श्रमिकों को कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद नम्बर के बारे में फोन पर ही जानकारी दी जाएगी।